EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 23 July , 2024

Edition: International **Table of Contents**

Page 01 **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	इस साल अर्थव्यवस्था में 7% की वृद्धि होने की संभावना सर्वेक्षण
Page 05 **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	'भारत ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर रुख किया है; महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर बढ़ रही है'
Page 10 **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	गिग-आधारित कार्य को विनियमित करने का मामला
प्रारंभिक तथ्य	कलारीपयट्टू
प्रोजेक्ट इन न्यूज़	अपर करनाली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **पाठ्यक्रम** **GS: 1 & 3 : भूगोल और पर्यावरण**	गर्मी का तनाव चिंता का विषय है
मानचित्रण	**विषय**: भारत के संरक्षित क्षेत्र

EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page 01 : GS 3 : Indian Economy

मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

- 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में नीतिगत प्राथमिकताओं के रूप में असमानता और बेरोज़गारी को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

'India has shifted to women-led development; female labour force participation rate rising'

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

Observing that India is transitioning from women's development to women-led development, Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran on Monday said there had been a 218.8% increase in budgetary allocation for schemes for the welfare and empowerment of women even as he acknowledged that women in India faced the "motherhood penalty" with a drop in female labour force participation rate around childbearing years.

"The share of the Gender Budget in the total Union Budget has increased to 6.5% in financial year 2025, the highest since the introduction of Gender Budgeting Scheme in financial year 2006," he said in the Economic Survey, which was tabled in Parliament. This shows that India is shifting from women's development to women-led development. He also underscored the government's commitment towards ensuring employment opportunities for women in various fields.

Women at work

According to the Economic Survey, rural women have driven an increase in the female labour force participation rate (LFPR)

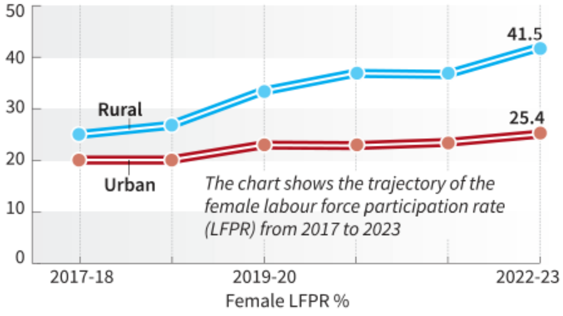

The Survey said that skilling schemes had put a dedicated emphasis on covering women, and the number of women trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) had increased from 42.7% in the financial year 2015-16 to 52.3% in the financial year 2023-24. Under the Jan Shikshan Sansthan (JSS) scheme, women constituted about 82% of the total beneficiaries and in institutes such as the ITIs and the National Skill Training Institutes, the participation of women had gone up from 9.8% to 13.3% during the period.

With rural India propelling the trend, the survey observed that the female labour force participation rate (LFPR) rose to 37% in 2022-23 from 23.3% in 2017-18. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana had facilitated the opening of 52.3 crore bank accounts, of which 55.6% account holders were women, as of May 2024.

Delving into the crucial aspect of care economy, the Survey estimated that direct public investment equivalent to 2% of the GDP had the potential to generate 11 million jobs in the sector, nearly 70% of which would go to women. It flagged models of Australia, Argentina, Brazil, and the U.S. in this sector.

"The economic value of developing a care sector is two-fold – increasing female labour force participation rate (FLFPR) and promoting a promising sector for output and job creation. According to International Labour Organisation (2018), the care sector is one of the fastest-growing sectors globally, and investments in the care services sector are estimated to generate 475 million jobs globally by 2030," it said.

चर्चा की गई विभिन्न चुनौतियाँ

1. आईटी क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- भर्ती में मंदी: सीईए ने पिछले दो वर्षों में आईटी क्षेत्र में भर्ती में उल्लेखनीय मंदी देखी है।
- एआई और श्रम: उन्होंने उद्योग को श्रमिकों को बदलने के बजाय श्रम को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

2. कौशल पहल

- असमानता को संबोधित करना: आर्थिक सर्वेक्षण असमानता से निपटने, स्वास्थ्य में सुधार और शिक्षा-रोज़गार के अंतर को पाटने के लिए कदम सुझाता है।

- कौशल रीबूट: उद्योग को सही दृष्टिकोण और कौशल वाले लोगों को प्रदान करने के लिए भारत की कौशल पहलों को रीबूट करने का प्रस्ताव है।

3. कॉर्पोरेट क्षेत्र और आर्थिक विकास

- मांग और रोज़गार: सर्वेक्षण रोज़गार और आय वृद्धि से उत्पन्न उच्च मांग से कॉर्पोरेट्स के लिए लाभ पर जोर देता है।
- अल्पकालिकता के खिलाफ चेतावनी: यह "अल्पकालिकता" के खिलाफ चेतावनी देता है जो आर्थिक संबंधों को कमजोर कर सकता है।

4. राज्य क्षमता और आम सहमति बनाना:

- राज्य क्षमता बढ़ाना: रणनीति के काम करने के लिए राज्य क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- आम सहमति की आवश्यकता: सीईए प्रभावी परिवर्तन के लिए सरकारों, व्यवसायों और सामाजिक क्षेत्रों के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर बल देता है।

5. भूमि अधिग्रहण और निवेश संबंधी चिंताएँ:

- भूमि उपयोग मानदंड: हालाँकि सर्वेक्षण में भूमि अधिग्रहण सुधार का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह भूमि उपयोग मानदंडों को विनियमित करने और कृषि भूमि जोत को समेकित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- निवेश संबंधी सावधानियाँ: सर्वेक्षण में सस्ते आयातों की आशंकाओं के कारण निजी पूंजी निर्माण के सतर्क रहने के बारे में चेतावनी दी गई है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से चीन से संदर्भ लिया गया है।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) चुनौतियाँ:

- एफडीआई आकर्षित करना: उच्च ब्याज दरों और विकसित देशों द्वारा सब्सिडी के माध्यम से घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के कारण एफडीआई आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण होगा।
- अनिश्चितताओं को संबोधित करना: प्रगति के बावजूद, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, करों और आयात शुल्क से संबंधित अनिश्चितताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

संरचनात्मक सुधार

- मौजूदा सुधार: जीएसटी और दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसे संरचनात्मक सुधार अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं।
- अगली पीढ़ी के सुधार: सर्वेक्षण में "अगली पीढ़ी के सुधारों" का आह्वान किया गया है, जो टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए नीचे से ऊपर की प्रकृति के हैं।

विकास के लिए रणनीतिक दिशाएँ

- छह-आयामी रणनीति: सर्वेक्षण में विकास के लिए छह-आयामी रणनीति की रूपरेखा दी गई है, जिसमें निजी क्षेत्र के निवेश और श्रमिकों के लिए आय के उचित हिस्से पर जोर दिया गया है।
- ध्यान केंद्रित क्षेत्र: अन्य ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में हरित परिवर्तन को वित्तपोषित करना, एमएसएमई के लिए बाधाओं को दूर करना और बुद्धिमान किसान-हितैषी नीतियों को लागू करना शामिल है।

निष्कर्ष

- निरंतर विकास की संभावना: पिछले सुधारों के आधार पर अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में निरंतर आधार पर 7% से अधिक की दर से बढ़ सकती है।
- त्रिपक्षीय समझौता: इस विकास को प्राप्त करने के लिए केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।

UPSC Prelims PYQ : 2013

प्रश्न: देश X में आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूप से घटित होगी यदि:

(a) विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो।

(b) X में जनसंख्या वृद्धि हो।

(c) X में पूंजी निर्माण हो।

(d) विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़े।

उत्तर: c)

Page 05 : GS 3 : Indian Economy

हाल ही में, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में 218.8% की वृद्धि का उल्लेख किया है और यहां तक कि स्वीकार किया है कि भारत में महिलाओं को प्रसव वर्षों के आसपास महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट के साथ "मातृत्व दंड" का सामना करना पड़ता है।

'India has shifted to women-led development; female labour force participation rate rising'

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

Observing that India is transitioning from women's development to women-led development, Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran on Monday said there had been a 218.8% increase in budgetary allocation for schemes for the welfare and empowerment of women even as he acknowledged that women in India faced the "motherhood penalty" with a drop in female labour force participation rate around childbearing years.

"The share of the Gender Budget in the total Union Budget has increased to 6.5% in financial year 2025, the highest since the introduction of Gender Budgeting Scheme in financial year 2006," he said in the Economic Survey, which was tabled in Parliament. This shows that India is shifting from women's development to women-led development. He also underscored the government's commitment towards ensuring employment opportunities for women in various fields.

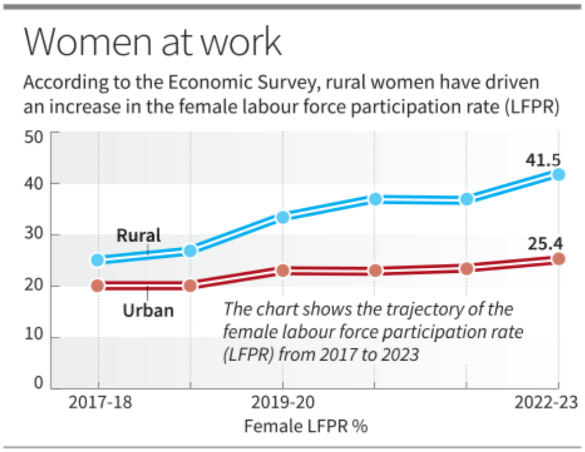

The Survey said that skilling schemes had put a dedicated emphasis on covering women, and the number of women trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) had increased from 42.7% in the financial year 2015-16 to 52.3% in the financial year 2023-24. Under the Jan Shikshan Sansthan (JSS) scheme, women constituted about 82% of the total beneficiaries and in institutes such as the ITIs and the National Skill Training Institutes, the participation of women had gone up from 9.8% to 13.3% during the period.

With rural India propelling the trend, the survey observed that the female labour force participation rate (LFPR) rose to 37% in 2022-23 from 23.3% in 2017-18. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana had facilitated the opening of 52.3 crore bank accounts, of which 55.6% account holders were women, as of May 2024.

Delving into the crucial aspect of care economy, the Survey estimated that direct public investment equivalent to 2% of the GDP had the potential to generate 11 million jobs in the sector, nearly 70% of which would go to women. It flagged models of Australia, Argentina, Brazil, and the U.S. in this sector.

"The economic value of developing a care sector is two-fold – increasing female labour force participation rate (FLFPR) and promoting a promising sector for output and job creation. According to International Labour Organisation (2018), the care sector is one of the fastest-growing sectors globally, and investments in the care services sector are estimated to generate 475 million jobs globally by 2030," it said.

इस कदम के बारे में:

- बजटीय चर्चा में की गई घोषणा के अनुसार, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025 में लिंग बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने जा रही है।
- यह कदम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल की स्थिरता को बढ़ाएगा और लिंग बजट के लिए निधि आवंटन में वृद्धि करेगा।

लिंग बजट क्या है?

- लिंग बजट लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों के समान महिलाओं तक पहुँचे।
- लिंग बजट का औचित्य इस तथ्य की मान्यता से उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय बजट संसाधन आवंटन के पैटर्न के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करते हैं।
- महिलाएँ भारत की आबादी का 48% हिस्सा हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर पुरुषों से पीछे हैं। इसलिए, लिंग बजट महत्वपूर्ण है।

भारत में लिंग बजट की स्थिति:

- लिंग बजट विवरण पहली बार बजट 2005-06 में पेश किया गया था। विभिन्न मंत्रालय और विभाग वित्त मंत्रालय को जानकारी प्रदान करते हैं जिसके आधार पर लिंग बजट विवरण तैयार किया जाता है।
- इससे लैंगिक दृष्टिकोण से व्यय और सार्वजनिक सेवा वितरण की निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे सभी गतिविधियों में महिलाओं की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने और सार्वजनिक संसाधनों तक उनकी पहुँच में सुधार करने में मदद मिलती है।
- साथ ही, सभी मंत्रालयों और विभागों को जेंडर बजटिंग सेल (जीबीसी) खोलने का निर्देश दिया गया।

भारत में जेंडर बजटिंग से जुड़ी समस्याएँ:

- भारत का जेंडर बजट कुल व्यय का 4 - 6% और जीडीपी का 1% से भी कम है। इसमें राजकोषीय लक्ष्य निर्धारण का भी अभाव है, जो बजटीय पूर्वानुमान की सटीकता है।
- लगभग 90% जेंडर बजटिंग पाँच मंत्रालयों में केंद्रित है। जब आजीविका की बात आती है, तो मनरेगा जेंडर बजटिंग में सबसे बड़ी योजना है।
- परिवहन, जल संग्रहण और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की अनदेखी की जाती है।
- पिछला बजट 2021-22 और 2022-23 में महामारी द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने में विफल रहा, जबकि महिलाओं पर कोविड-19 का अनुपातहीन प्रभाव था।

देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में लाने के उपाय

- अवैतनिक कार्य को पहचानना: अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य को पहचानना।
- समान कार्य के लिए समान वेतन: चाहे वह देखभाल या मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता हो।
- सामाजिक सुरक्षा उपाय: भुगतान वाली पैतृक छुट्टी, घर से काम (WFH) संस्कृति, सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवा और पेंशन जैसी नीतियों को लागू करना, जो महिलाओं को देखभाल करने वालों और श्रमिकों के रूप में उनकी दोहरी भूमिकाओं में सहायता करती हैं।
- महिलाओं के रोजगार का समर्थन करना: कौशल विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा और नीतियों के माध्यम से औपचारिक श्रम बल में भाग लेने के अवसर प्रदान करना जो कार्य-परिवार संतुलन को सक्षम करते हैं।

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना: महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना, विशेष रूप से देखभाल सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय-सृजन गतिविधियाँ।

UPSC Prelims PYQ : 2017

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन दुनिया के देशों को 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' रैंकिंग देता है?

(ए) विश्व आर्थिक मंच
(बी) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
(सी) संयुक्त राष्ट्र महिला
(डी) विश्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: ए)

Page 10 : GS 3 : Indian Economy

कर्नाटक सरकार द्वारा गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून लाने की हाल की मंशा भारत में गिग-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक आवश्यक कदम है।

A case for regulating gig-based work

Karnataka's draft Bill introduces provisions that mandate fair contracts and income security for platform workers. These provisions strengthen the position of workers who are at the same time not considered employees, nor do they enjoy the freedom and flexibility of being independent contractors

ECONOMIC NOTES

Rakshita Swamy
Biju Mathew

The Karnataka government's intent to introduce a legislation for the welfare of gig workers is a welcome and necessary step.

It squarely addresses the three big myths propagated by the gig and platform industry. The first myth that aggregators sell to promote platform work is that they would have "no boss" and would be "partners" and "captains" – anything but workers. This drew in many people, particularly the young, to join platform-based gigs. However, it soon became clear that this was not the case. There was a big boss – the algorithm and a network of team managers deployed at the local level to enforce the algorithm.

Algorithms dictate the number of hours the worker needs to put in on weekends, the orders to be delivered, cancellations and rating scores that ought to be maintained in order for tasks to be continually allocated to the worker, and finally when a worker is deactivated or fired. Shaikh Salauddin from the Indian Federation of App-based Transport Workers put it succinctly when he said that "Gig workers spend hours trying to guess what the algorithm is doing and it feels like they are a rat in a maze". This is totally opposite to the idea of being one's own boss. A plain reading of the digitally generated terms and conditions that the worker has to invariably agree on to commence work dispels any notion of being an independent contractor. Every aspect of the work is monitored and dictated, with workers facing the consequences if they do not comply.

The Karnataka Bill recognises the pervasive role played by such algorithms and makes the aggregator responsible for sharing the parameters that are used by the algorithm to determine allocation of work, grounds for denial of work, the categorisation of workers and how

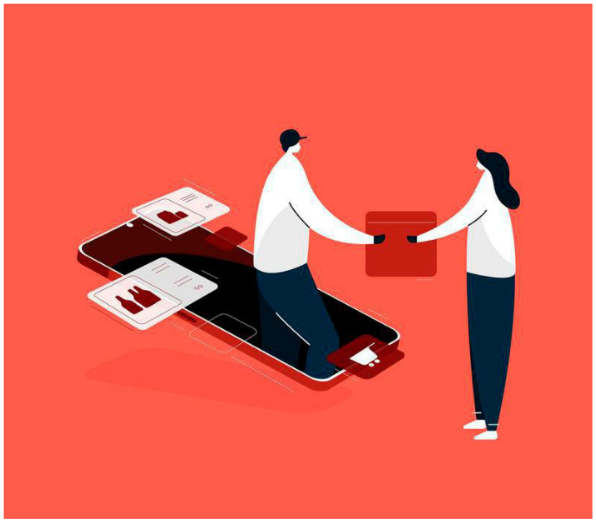

ISTOCKPHOTO

personal data of workers is being used to determine their ability to work and earn through the aggregator. The Bill breaks the algorithmic control the companies have and allows workers to take back control for at least some part of their work lives.

The myth of flexibility

The second myth that is perpetuated is that persons engaged in platform work enjoy flexible work arrangements. This assertion has enabled platforms to keep gig-based workers away from protections under labour laws. Multiple studies have shown how the term flexibility is abused in the industry. All flexibility in truth rests only with the employer and none with the worker. The payment structure consisting of a number of incentive schemes which enable workers to earn the minimum surplus required to cover costs, in effect, leaves no flexibility with the workers. For instance, workers have to comply with mandatory login hours to be eligible for incentives. If they log in after gaps of being 'inactive', they have to make peace with disadvantaged rate cards and incentive schemes. Karnataka's draft Bill introduces provisions that mandate fair contracts, income security and the right of platform workers to refuse work without being slapped with sanctions. The above provisions strengthen the position of these workers who are at the same time not considered employees, nor do they enjoy the freedom and flexibility of being independent contractors.

The third myth is that these are 'part time' workers, who engage in platform-based gig work for additional income. According to a study of the platform economy in India by PAIGHAM and the University of Pennsylvania, 96% of the cab drivers surveyed, secured 100% of their daily income from gigs. The corresponding figure for delivery workers was 90.7%. Average daily work hours for taxi drivers was in excess of 11 hours, and 10 hours for delivery workers. By making social security a mandatory requirement, the Karnataka Law takes a necessary step towards acknowledging this fact and makes room for an umbrella of schemes that can assist workers through events such as old age, death, health shocks etc.

India's stand

Even though the Government of India endorsed a progressive statement on the rights of platform workers at the G-20 last year, it's Code on Social Security, which is the only legislation that makes a passing reference to gig workers, has been detrimental as it delinks workers from minimum labour protections of wages, occupational safety and health. Significantly, it is the State Governments that are showing the way forward. Rajasthan is the first State to pass a legislation on the issue, closely followed by Karnataka. Jharkhand, Tamil Nadu, Haryana, Telangana are following suit.

In the political context of guarantees funded purely by the state exchequer, this law is an important development. It shows how social security for workers ought to also be financed from the market and that private actors should no longer be abdicated from their primary economic accountability towards workers. There are many things that could be improved in the Bill. These include the Bill's silence on critical issues such as minimum wage, occupational safety and health, working hours, and rights on collective bargaining. However, it is also true that this law allows workers to mobilise and assert for more.

Rakshita Swamy is Director, Social Accountability Forum for Action and Research and Biju Mathew is President, International Alliance of App Based Transport Workers.

THE GIST

▼ The first myth that aggregators sell to entice people towards platform work is that they would have "no boss" and would be "partners" and "captains" — anything but workers.

▼ The second myth that is perpetuated is that persons engaged in platform work enjoy flexible work arrangements. This assertion has enabled platforms to keep gig-based workers away from protections under labour laws.

▼ The third myth is that these are 'part time' workers, who engage in platform-based gig work for additional income.

Text & Context
▪ Text & Context pages will not be available on July 24, 2024

गिग इकॉनमी क्या है?

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, गिग इकॉनमी को कार्यबल की भागीदारी और "गिग", एकल परियोजनाओं या कार्यों के माध्यम से आय सृजन पर ध्यान केंद्रित करके परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए किसी कर्मचारी को काम पर रखा जाता है।
- गिग इकॉनमी में वे सभी प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं जो ई-कॉमर्स, प्रौद्योगिकी, खाद्य और पेय पदार्थ, घरेलू सेवाओं जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र कर्मचारियों को काम पर रखते हैं।

- गिग कर्मचारियों को आम तौर पर कंपनियों द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है और उन्हें कर्मचारी नहीं माना जाता है। उन्हें कुछ ऐसे लाभ नहीं मिलते हैं जो ऑन-रोल कर्मचारियों को मिलते हैं।

वर्गीकरण: गिग कर्मचारियों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:
- प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी: वे जिनका काम ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फ़ूड एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो, स्विगी, ओला और अन्य पर आधारित है।
- गैर-प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कर्मचारी: पारंपरिक क्षेत्रों में आकस्मिक वेतन और स्वयं के खाते वाले कर्मचारी, अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं।

गिग इकॉनमी के लाभ:
- श्रमिकों के लिए: गिग इकॉनमी अधिक लचीलापन, स्वायत्तता, आय के अवसर, कौशल विकास और समावेशन प्रदान कर सकती है।
- नियोक्ताओं के लिए: यह प्रतिभाओं के एक बड़े और विविध पूल तक पहुँच, कम निश्चित लागत, उच्च मापनीयता और बेहतर ग्राहक संतुष्टि को सक्षम कर सकता है।
- ग्राहकों के लिए: यह अधिक विकल्प, सुविधा, गुणवत्ता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान प्रवृत्ति-
- लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में है
- लगभग 22% उच्च कुशल में
- लगभग 31% कम कुशल नौकरियों में
- प्रवृत्ति से पता चलता है कि मध्यम कौशल में श्रमिकों की सांद्रता धीरे-धीरे कम हो रही है और कम कुशल और उच्च कुशल में वृद्धि हो रही है।

अपेक्षित प्रवृत्ति:
- जबकि 2020-21 में, गिग कार्यबल भारत में गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% या कुल कार्यबल का 1.5% था, 2029-30 तक, गिग श्रमिकों के भारत में गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% या कुल आजीविका कार्यबल का 4.1% बनने की उम्मीद है।

गिग-इकोनॉमी को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है?
- प्रकृति में गैर-स्थायी होने के कारण: इन नौकरियों में मुख्य रूप से अस्थायी अनुबंध होते हैं जो आम तौर पर कम सुरक्षा, कम लाभ और आर्थिक छूट के साथ आते हैं।
- गिग-वर्कर्स को रोजगार लाभ प्रोटोकॉल के तहत लाना: श्रमिकों को ज्यादातर पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे कि बेरोजगारी लाभ, बीमार वेतन और पेंशन से बाहर रखा जाता है।
- बीमा और वित्तीय सहायता: गिग इकॉनमी पर अधिकांश लेन-देन इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं और इस तरह उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इन कंपनियों को बीमा और अन्य सामाजिक योगदानों में योगदान करने की आवश्यकता है।
- आय की असमानता को कम करने के लिए: बढ़ती जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं और गिग नौकरियों के उप-अनुबंध के कारण, सुरक्षा को लागू करना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा किए बिना हम असमानता के बढ़ते स्तरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: हाल के वर्षों में भारत में गिग इकॉनमी का तेजी से विकास हुआ है। इस कथन के आलोक में भारत में गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ।

Prelims Fact : Kalaripayattu

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने लोकसभा में बताया कि मंत्रालय ने देश में 'कलारीपयट्टू' को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है।

कलारीपयट्टू के बारे में:

- यह केरल में उत्पन्न और प्रचलित पारंपरिक मार्शल आर्ट है।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार योद्धा ऋषि परशुराम कलारीपयट्टू के प्रवर्तक हैं।
- यह दो शब्दों से बना है, कलारी का अर्थ है "लड़ाई का स्थान" और मलयालम में पयाट्टू का अर्थ है "लड़ाई"।
- पयाट्टू के चार चरण हैं:

    1. मैप्पयट्टू - शरीर को तंदुरुस्त करने वाले व्यायाम
    2. कोलथारी - लकड़ी के हथियारों का उपयोग
    3. अंगथारी: तीखे धातु के हथियारों का उपयोग
    4. वेरुमकई: नंगे हाथों से बचाव और हमला।

- महिलाओं ने भी कलारीपयट्टू का प्रशिक्षण लिया और आज भी लेती हैं।
- कलारीपयट्टू की प्रमुख जातीय शैली उत्तरी केरल (मालाबार) के तीन क्षेत्रों में मौजूद है: वट्टेंथरिप्पु शैली, अराप्पुक्कई शैली और पिल्लाथांगी शैली।

- यह मार्शल आर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रशिक्षुओं को अविश्वसनीय शक्ति और सहनशक्ति, रक्षा तकनीक, ऑटो रिफ्लेक्स, लचीलापन, आत्मविश्वास, एकाग्रता, शारीरिक संस्कृति और मानसिक अनुशासन आदि प्रदान करता है।
- यह कहा जा सकता है कि कलारिपयट्टू योग क्रिया है। यह एकमात्र मार्शल आर्ट है जो उपचार शाखा से जुड़ा है जिसे खेल चिकित्सा के क्षेत्र में भी पेश किया जा सकता है।

UPSC Prelims PYQ : 2014

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. पुथुकुली शॉल - तमिलनाडु
2. सुजनी कढ़ाई - महाराष्ट्र
3. उप्पाडा जामदानी साड़ियाँ - कर्नाटक

उपर्युक्त युग्मों में से किसकी शिल्प विरासत सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 2 और 3

उत्तर: (a)

Project In News : Upper Karnali Hydro-Electric Power Project

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) अपर करनाली जलविद्युत परियोजना में लगभग 290 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली है।

अपर करनाली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में:

- यह नेपाल में करनाली नदी पर विकसित की जा रही 900 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रोपावर परियोजना है।
- यह परियोजना नेपाल, भारत और बांग्लादेश को 25 वर्षों की अनुबंधित अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति करेगी।
- नेपाल सरकार ने जनवरी 2008 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत जीएमआर ग्रुप इंडिया की सहायक कंपनी जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल) को यह परियोजना सौंपी है।
- जीएमआर इस परियोजना को बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर विकसित कर रहा है।
- नेपाल सरकार को जीएमआर के साथ समझौता ज्ञापन के तहत परियोजना में 27% मुफ्त इक्विटी मिली है।
- अनुमान है कि इससे 3,466 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि प्रति वर्ष लगभग दो मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई होगी।
- इसमें कंक्रीट ग्रेविटी बांध, हेडरेस सुरंगें, एक मछली मार्ग, फीडर सुरंगें, सर्ज और प्रेशर शाफ्ट और सिल्ट फ्लशिंग सुरंगें होंगी।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के बारे में मुख्य तथ्य:

- यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी I) उद्यम है।
- IREDA एक सार्वजनिक सीमित सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है।
- आदर्श वाक्य: "हमेशा के लिए ऊर्जा"

करनाली नदी के बारे में मुख्य तथ्य:

- यह एक बारहमासी सीमा पार नदी है जो पवित्र कैलाश के पार तिब्बत सीमा के नेपाल की ओर हिमालय पर्वत से निकलती है।
- यह नेपाल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 315 मील है। 90% से अधिक बेसिन नेपाल में स्थित है।
- यह नेपाल में हिमालय को काटती है और भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा नदी में मिलती है।
- साथ में, वे घाघरा नदी बनाते हैं, जो गंगा की एक प्रमुख बायीं तट सहायक नदी है।

UPSC Prelims PYQ : 2023

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों को पढ़ें:

1. बगलिहार जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर विकसित की गई है।
2. दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना झेलम नदी पर विकसित की गई है।
3. सलाल जलविद्युत परियोजना रावी नदी पर विकसित की गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: (ए)

Heat stress is more than a degree of concern

Ishawar Choudhary
pursuing a PhD in economics in the Department of Economics and Finance at the BITS Pilani, Pilani campus, Rajasthan

Balakrushna Padhi
an Assistant Professor in the Department of Economics and Finance at BITS Pilani

Geetilaxmi Mohapatra
an Associate Professor in the Department of Economics and Finance at the BITS Pilani, Pilani campus, Rajasthan

In recent periods, climate change and environmental degradation have significantly affected the safety and the health of workers worldwide. Heat stress is anticipated to affect labour efficiency and productivity, in turn reducing work hours and hindering the International Labour Organization's (ILO) objective of promoting fair and decent employment. Workers, who are particularly vulnerable to climate change hazards, sometimes cannot cease working despite hazardous conditions because of financial constraints.

The main health effects of heat stress on workers include heat stroke, heat cramps, cardiovascular disease, acute kidney injury, and physical injury. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) states that to retain normal physiological activities, it is necessary to maintain a core body temperature of roughly 37°C. Temperature elevations over 38°C have a deleterious effect on one's cognitive and physical capabilities. During various life stages, women who are employed in heat-exposed sectors, such as subsistence agriculture, may be at risk for pregnancy-related complications, including hypertension, miscarriages, and premature births. An increase in temperature can diminish work productivity due to excessive heat that makes it difficult to work. Or, there is a need for personnel to operate at a slower pace.

ILO study findings

The ILO study (2019) estimated that "Heat stress is projected to reduce total working hours worldwide by 2.2 percent and global GDP by US$2,400 billion in 2030... Agricultural and construction workers are expected to be the worst affected, accounting for 60 percent and 19 percent, respectively of working hours lost to heat stress in 2030". Agricultural workers face a significantly higher risk from heat than workers in other occupations, with farmworkers being 35 times more susceptible to heat-related fatalities. Recent ILO (2024) estimates that 2.41 billion workers worldwide are exposed to extreme heat. Further, exposure to extreme heat at work is directly associated with about 22.85 million injuries and 18,970 fatalities annually. The Asia and the Pacific regions experience the highest Gross Domestic Product (GDP) losses due to heat stress affecting labour productivity. In 1995, the region's GDP was estimated to have decreased by 1.4%, which is forecast to decrease by 2.3% in 2030 due to climate change. Projections indicate that Thailand, Cambodia, and India will experience significant declines in their national GDP in 2030, with a decrease of over 5%.

Asia and the Pacific exhibit exceptional diversity in terms of climate and the varying levels of economic development among various countries. The geographical distribution of heat stress impact is not uniform. It is projected that by 2030, there would be a decrease of almost 5% in working hours in southern Asia and western Africa, while the reduction in the European subregions will be only 0.1%.

Further, southern Asia and sub-Saharan Africa are most susceptible to experiencing declines in labour productivity due to heat stress; these regions are already vulnerable to climate change and home to most of the world's poor population, which counteracts efforts to reduce inequalities. The countries that are most susceptible to experiencing decreases in productivity are those having a significant proportion of their workforce employed in the agricultural and/or construction sectors, as well as those situated in the tropical and subtropical latitudes. The decline in available working hours and output among small-scale and subsistence farmers is expected to affect household food security. Heat stress significantly impacts labour hours and productivity, and the impact is not uniform across regions and genders. Heat stress poses concerns that have the potential to exacerbate gender disparities in the workforce, particularly by deteriorating working conditions for the numerous women engaged in subsistence agriculture. Excessive heat stress is expected to impact the achievement of various Sustainable Development Goals (SDGs).

Impact in India

India is undergoing a consistent increase in temperatures annually. By 2030, an estimated 160 million-200 million individuals around the nation may face the risk of experiencing deadly heat waves every year. Approximately 34 million people in India will experience job losses due to reduced productivity caused by heat stress. A study in West Bengal shows that as the temperature increases by 1°C, there is a corresponding decrease of approximately 2% in the productivity of female brickmaking workers. India is the country that experiences the most impact from heat stress; in 1995, it lost 4.3% of its working hours, which is anticipated to increase to 5.8% by 2030.

In addition, India is expected to experience a significant decline in full-time employment by 2030 as a result of heat stress, which can be attributed to its large population. Further, migrant workers often work in hazardous and physically demanding jobs, primarily in the informal economy. They are particularly vulnerable to the risks posed by climate change, as they usually lack occupational safety and health protections, essential services, and infrastructure.

Informal workers may continue working despite the risk to their health from extreme climate events due to financial constraints. Thus, there is a need to strengthen adaptation and mitigation measures at the global, national, and workplace levels to reduce the detrimental impact of heat stress on workers.

There are national guidelines under the title, 'Preparation of Action Plan - Prevention and Management of Heat Wave', by the National Disaster Management Authority in collaboration with the Ministry of Home Affairs. These guidelines are designed to protect the Indian workforce from the negative impacts of extreme heat. They are designed to help public officials create heatwave action plans for both urban and rural areas, with a focus on the general population.

The importance of the following factors is highlighted: providing education to workers; ensuring proper hydration; managing work schedules, and offering necessary medical facilities. The General Discussion Committee of the International Labour Conference, in June 2023, highlighted the urgent need to implement measures to ensure the safety and the health of workers impacted by climate-related risks and extreme weather events. This involves tackling the effects on their mental and physical well-being and the advocating of secure and conducive working environments.

In this regard, it is crucial for all stakeholders, including governments, employers, and workers, to collaborate in implementing measures that prioritise the protection of the most vulnerable individuals. These measures should include the development of sufficient infrastructure and enhanced early warning systems for extreme weather events.

Additionally, there should be a focus on improving the implementation of international labour standards that are related to occupational safety and health. This will ensure that those affected by heat stress are provided with suitable working conditions. Further, effective communication between workers and employers is essential to facilitate the adjustment of working hours, guarantee adequate rest breaks, provide access to drinking water, and offer training on the identification and management of heat stress. This can help alleviate the adverse effects of heat stress.

Think of green jobs

The government may implement adequate regulatory and legislative measures in occupations that are susceptible to heat waves in order to ensure the safety and well-being of workers. Additionally, infrastructure-related measures, such as implementing construction standards, should safeguard indoor workers. Considering the current climate change scenario, decent and green employment emerges as a promising solution for the future of work. Green jobs are employment opportunities that help protect or restore the environment while also supporting economic and social well-being.

> The Asia and Pacific regions could experience significant economic losses due to heat stress affecting labour productivity

The views expressed are personal

GS Paper 01 : भूगोल : महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ

GS Paper 01 : पर्यावरण : जलवायु परिवर्तन

PYQ: UPSC CSE Prelims 2010:

प्रश्न: वर्तमान में तथा निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भारत की संभावित सीमाएँ क्या हैं?

1. 1. उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
2. 2. भारत अनुसंधान और विकास में भारी मात्रा में धन निवेश नहीं कर सकता।
3. 3. कई विकसित देशों ने पहले ही भारत में अपने प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित कर लिए हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

Mains Practice Question भारत में गर्मी से होने वाले तनाव के लिए अन्य कौन से कारक जिम्मेदार हैं? इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (250 w/15m)

परिचय

- हाल के समय में, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण ने दुनिया भर में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- गर्मी के तनाव से श्रम दक्षता और उत्पादकता प्रभावित होने की आशंका है, जिससे काम के घंटे कम हो जाएंगे और निष्पक्ष और सभ्य रोजगार को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न होगी।

गर्मी के तनाव के प्रभाव

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: श्रमिकों पर गर्मी के तनाव के मुख्य स्वास्थ्य प्रभावों में हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हृदय रोग, तीव्र किडनी की चोट और शारीरिक चोट शामिल हैं।
- IPCC का कहना है: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) का कहना है कि सामान्य शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, शरीर का तापमान लगभग 37°C बनाए रखना आवश्यक है।
- तापमान में वृद्धि: 38°C से अधिक तापमान में वृद्धि व्यक्ति की संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं पर हानिकारक प्रभाव डालती है।
- महिलाओं पर स्वास्थ्य पर प्रभाव: जीवन के विभिन्न चरणों के दौरान, जो महिलाएं गर्मी के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों, जैसे निर्वाह कृषि में कार्यरत हैं, उन्हें गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का खतरा हो सकता है, जिसमें उच्च रक्तचाप, गर्भपात और समय से पहले जन्म शामिल हैं।
- कार्य उत्पादकता में कमी: तापमान में वृद्धि अत्यधिक गर्मी के कारण कार्य उत्पादकता में कमी ला सकती है, जिससे काम करना मुश्किल हो जाता है। या, कर्मियों को धीमी गति से काम करने की आवश्यकता होती है।

ILO अध्ययन निष्कर्ष

- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद: ILO अध्ययन (2019) ने अनुमान लगाया है कि 2030 में गर्मी के तनाव से दुनिया भर में कुल कार्य घंटों में 2.2 प्रतिशत और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 2,400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आने का अनुमान है।
- कृषि और निर्माण श्रमिक: कृषि और निर्माण श्रमिकों के सबसे अधिक प्रभावित होने की उम्मीद है, जो 2030 में गर्मी के तनाव के कारण क्रमशः 60 प्रतिशत और 19 प्रतिशत कार्य घंटों के लिए जिम्मेदार हैं।
    - कृषि श्रमिकों को अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में गर्मी से काफी अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, खेतिहर श्रमिकों को गर्मी से संबंधित मौतों का 35 गुना अधिक खतरा होता है।
- श्रम उत्पादकता को प्रभावित करना: श्रम उत्पादकता को प्रभावित करने वाले गर्मी के तनाव के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे अधिक नुकसान होता है।
- क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद: 1995 में, क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 1.4% की कमी होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 में 2.3% की कमी होने का अनुमान है।
- अनुमान: अनुमानों से संकेत मिलता है कि थाईलैंड, कंबोडिया और भारत 2030 में अपने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव करेंगे, जिसमें 5% से अधिक की कमी होगी।
- असाधारण विविधता: एशिया और प्रशांत क्षेत्र जलवायु के संदर्भ में असाधारण विविधता और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करते हैं।
- भौगोलिक वितरण: ताप तनाव प्रभाव का भौगोलिक वितरण एक समान नहीं है।
- काम के घंटे और उत्पादन: छोटे पैमाने के और निर्वाह किसानों के बीच उपलब्ध कार्य घंटों और उत्पादन में गिरावट से घरेलू खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की उम्मीद है।

- लिंग असमानताएँ: ताप तनाव चिंता का विषय है जो कार्यबल में लैंगिक असमानताओं को बढ़ाने की क्षमता रखता है, विशेष रूप से निर्वाह कृषि में लगी कई महिलाओं के लिए काम करने की स्थिति को खराब करके।
- सतत विकास लक्ष्य: अत्यधिक ताप तनाव से विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि प्रभावित होने की उम्मीद है।

भारत में प्रभाव

- भारत में तापमान में हर साल लगातार वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि 2030 तक देश भर में 160 मिलियन-200 मिलियन लोग हर साल घातक गर्मी की लहरों का सामना करने के जोखिम का सामना कर सकते हैं।
- पश्चिम बंगाल में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि जैसे-जैसे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, महिला ईंट बनाने वाले श्रमिकों की उत्पादकता में लगभग 2% की कमी आती है।
- इसके अलावा, भारत में गर्मी के तनाव के परिणामस्वरूप 2030 तक पूर्णकालिक रोजगार में उल्लेखनीय गिरावट आने की उम्मीद है, जिसका श्रेय इसकी बड़ी आबादी को दिया जा सकता है।
- वित्तीय बाधाओं के कारण चरम जलवायु घटनाओं से अपने स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बावजूद अनौपचारिक श्रमिक काम करना जारी रख सकते हैं।
- इस प्रकार, श्रमिकों पर गर्मी के तनाव के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और कार्यस्थल स्तर पर अनुकूलन और शमन उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सरकारी पहल

- हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन: गृह मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 'कार्य योजना की तैयारी - हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन' शीर्षक के तहत राष्ट्रीय दिशानिर्देश हैं।
- ये दिशा-निर्देश भारतीय कार्यबल को अत्यधिक गर्मी के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए बनाए गए हैं।
- इन्हें सार्वजनिक अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए हीटवेव कार्य योजनाएँ बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आम आबादी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- निम्नलिखित कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है: श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना; उचित जलयोजन सुनिश्चित करना; कार्य शेड्यूल का प्रबंधन करना, और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना।
- सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों सहित सभी हितधारकों के लिए सबसे कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले उपायों को लागू करने में सहयोग करना महत्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के कार्यान्वयन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, काम के घंटों के समायोजन की सुविधा, पर्याप्त आराम अवकाश की गारंटी, पीने के पानी की पहुँच प्रदान करने और गर्मी के तनाव की पहचान और प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच प्रभावी संचार आवश्यक है।

- इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढाँचे से संबंधित उपाय, जैसे कि निर्माण मानकों को लागू करना, इनडोर श्रमिकों की सुरक्षा करनी चाहिए।

आगे की राह

- वर्तमान जलवायु परिवर्तन परिदृश्य को देखते हुए, सभ्य और हरित रोजगार भविष्य के काम के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में उभरता है।
- हरित नौकरियाँ रोजगार के अवसर हैं जो पर्यावरण की रक्षा या उसे बहाल करने में मदद करते हैं और साथ ही आर्थिक और सामाजिक कल्याण का भी समर्थन करते हैं।

हीट स्ट्रेस क्या है?

- **के बारे में**

o हीट स्ट्रेस तब होता है जब शरीर अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा नहीं पा सकता। जब ऐसा होता है, तो शरीर का मुख्य तापमान बढ़ जाता है और हृदय गति बढ़ जाती है।

o मूल रूप से, यह शरीर द्वारा अनुभव किए जाने वाले शारीरिक तनाव को संदर्भित करता है जब अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आते हैं, खासकर उच्च तापमान वाले वातावरण में।

कारण

o उच्च परिवेश तापमान
o उच्च आर्द्रता स्तर, जो पसीने के माध्यम से शरीर की ठंडा होने की क्षमता को कम करता है
o शारीरिक परिश्रम, खासकर गर्म परिस्थितियों में
o अपर्याप्त जलयोजन
o कार्यस्थलों या रहने के वातावरण में खराब वेंटिलेशन

लक्षण

o जैसे-जैसे शरीर गर्मी जमा करता रहता है, व्यक्ति एकाग्रता खोने लगता है और किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, वह चिड़चिड़ा या बीमार हो सकता है, और अक्सर पीने की इच्छा खो देता है।
o अगला चरण अक्सर बेहोशी और यहां तक कि मृत्यु भी होती है यदि व्यक्ति को ठंडा नहीं किया जाता है।

शहरी गर्मी द्वीप (UHI) प्रभाव क्या है?

- **के बारे में**
- UHI प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है जहां शहरी क्षेत्रों में उनके ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव होता है।
- यह तापमान अंतर मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और शहरी वातावरण की विशिष्ट विशेषताओं के कारण होता है।

कारण

- **सतह की विशेषताएँ**
  - o शहरी क्षेत्रों में अधिक डामर, कंक्रीट और इमारतें होती हैं जो गर्मी को अवशोषित करती हैं और बनाए रखती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वनस्पतियाँ वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शीतलन प्रदान करती हैं।
- मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न गर्मी
  - o औद्योगिक प्रक्रियाएँ, वाहन, एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ और अन्य मशीनरी गर्मी उत्पन्न करती हैं।
- कम वनस्पति
  - o कम हरी जगह और कम पेड़ों का मतलब है कम छाया और पौधों से कम ठंडक।
- इमारतों का घनत्व
  - o ऊँची इमारतें और संकरी गलियाँ गर्मी को फँसा सकती हैं और हवा के प्रवाह को कम कर सकती हैं, जिससे ठंडक सीमित हो जाती है।
- अधिक गर्मी
  - o इमारतों को रोशन करने, गर्म करने और ठंडा करने के लिए ऊर्जा की खपत अतिरिक्त गर्मी छोड़ती है।

शमन रणनीतियाँ

- बढ़ी हुई वनस्पति: पेड़ लगाना और हरित स्थान बनाना छाया और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों को ठंडा करने में मदद कर सकता है।
- ठंडी छतें और फुटपाथ: ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती हैं और कम गर्मी अवशोषित करती हैं, तापमान को कम कर सकती हैं।
- हरी छतें: छतों पर वनस्पति लगाने से इन्सुलेशन मिल सकता है और गर्मी अवशोषण कम हो सकता है।
- शहरी नियोजन: शहरों को अधिक पार्क, हरित पट्टी और खुले स्थानों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन करने से वायु प्रवाह में सुधार हो सकता है और तापमान कम हो सकता है।
- ऊर्जा दक्षता: इमारतों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करके मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न गर्मी को कम किया जा सकता है।

Mapping : Protected Areas of India

संरक्षित क्षेत्र

- सरल शब्दों में, संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के क्षेत्र या क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता और सामाजिक-पर्यावरणीय मूल्यों के संरक्षण के लिए कुछ स्तरों की सुरक्षा दी जाती है। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप और संसाधनों का दोहन सीमित है।

- संरक्षित क्षेत्र पृथ्वी पर जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य तंत्र हैं और इन-सीटू जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।
- भारत में, संरक्षित क्षेत्रों की चार प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ये संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित किए गए हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों की चार श्रेणियाँ हैं:

1. वन्यजीव अभयारण्य
2. राष्ट्रीय उद्यान
3. सामुदायिक रिज़र्व
4. संरक्षण रिज़र्व

- इन संरक्षित क्षेत्रों के अलावा, भारत में निम्नलिखित भी हैं:
  1. जैव विविधता रिज़र्व
  2. बाघ रिज़र्व
  3. हाथी रिज़र्व
  4. समुद्री संरक्षित क्षेत्र
- वन और वन्यजीव भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसलिए, केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियाँ और योजनाएँ बनाती है। दूसरी ओर, राज्य वन विभाग राज्य स्तर पर उन राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं को लागू करते हैं।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नीतिगत ढाँचा प्रस्तुत करता है। बोर्ड का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड:

- यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक "सांविधिक संगठन" है।
- इसकी भूमिका प्रकृति में "सलाहकार" है और यह देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियां और उपाय तैयार करने पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है।
- इसमें वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सीमाओं का कोई भी परिवर्तन एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।
- संरचना: एनबीडब्ल्यूएल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं अन्य सदस्यों में तीन संसद सदस्य (दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से), पांच गैर सरकारी संगठन और 10 प्रतिष्ठित पारिस्थितिकीविद्, संरक्षणवादी और पर्यावरणविद् शामिल हैं।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन और उन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिशें कर सकता है।
- राज्य वन्यजीव बोर्ड संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन पर राज्य सरकार को सलाह देगा।

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2003 और 2006 के संशोधन अधिनियमों के साथ)**
  - यह भारत में पौधों और जानवरों के संरक्षण का प्रावधान करता है। अधिनियम का उद्देश्य भारत की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  - यह प्रमुख अधिनियम है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन के प्रावधान हैं।

भारत के संरक्षित क्षेत्र

tected Areas	No.	Coverage % of Country
राष्ट्रीय उद्यान (एनपी)	106	1.35
वन्यजीव अभयारण्य (डब्ल्यूएलएस)	567	3.73
संरक्षण रिजर्व (सीआर)	105	0.16
सामुदायिक रिजर्व	220	0.04
कुल संरक्षित क्षेत्र (पीए)	998	5.28

- जनवरी 2023 तक, भारत के 5.28% भूमि क्षेत्र को कवर करने वाले 998 अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र थे। यह ऐची लक्ष्यों के लक्ष्य 11 से बहुत कम है - जिसमें कहा गया है कि 2020 तक, कम से कम 17% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।
- कई प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, जो सुरक्षा के स्तर के अनुसार अलग-अलग होते हैं। उदाहरणों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक रिजर्व आदि शामिल हैं।
- **संरक्षण की दृष्टि से, राष्ट्रीय उद्यान > वन्यजीव अभयारण्य > आरक्षित वन > संरक्षित वन**